(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3148-III/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–07–2014 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2011–12.

दिलीप कुमार मेहता वल्द सजनलाल मेहता
निवासी बडा बाजार नरसिंहगढ जिला राजगढ़

.....आवेदक

विरूद्ध

दिनेश कुमार वल्द प्रभुलाल सोनी,
निवासी शांतिधाम नरसिंहगढ़ जिला राजगढ

.....अनावेदक

.....

श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक–आवेदक
श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय के प्रकरण कमांक 82/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21–07–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार नरसिंहगढ़ के समक्ष दिनांक 16–09–2009 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सागपुर सर्वे नम्बर 87/2 से रकबा 0.227 हेक्टर उसके नाम अंकित पूर्व तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुसार पुनः तरमीम कराया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते

हुये दिनांक 7–7–2010 को आदेश पारित करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 24–11–2009 के अनुसार सर्वे नम्बर 87/2/7 रकवा 0.096 हेक्टर की संशोधित तरमीम अक्ष–बटान स्वीकृत की गई । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ के समक्ष आवेदक द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 59/अ–3/2009–10 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 22–11–2011 के द्वारा निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–11 से दुखित होकर आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 82/अपील/2011–12 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 से अपील निरस्त की गई । आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–14 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 8/अ–3/2008–09 में अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का विधिक दृष्टि से परीशीलन नहीं किया है जिसमें उसने स्वयं यह लेख किया है कि खसरा कमांक 87/2 रकबा 0.096 हेक्टर भूमि को तहसीलदार के आदेश से नक्शे में खसरा कमांक 87/2/6 अंकित कर दिया है जिसका वह संशोधन कराना चाहता है । इस आवेदन पत्र से ही स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का नक्शे में बटान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है तो यदि अनावेदक तहसील न्यायालय के द्वारा पारित किये गये उस आदेश से परिवेदित था तो उसे अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय नरसिंहगढ में अपील प्रस्तुत करना था जो कि उसके द्वारा समयावधि में नहीं की गई। तहसील न्यायालय को अपने ही आदेश को वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति लिये बिना पुनः कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी । इसके उपरांत भी तहसील न्यायालय ने अनावेदक के आवेदन पत्र पर वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति लिये बिना जो अधिकारिता विहीन आदेश दिनांक 7–7–2010 को पारित किया गया था वह निरस्त किये

जाने योग्य है परन्तु अपीलीय दोनों न्यायालयों ने उसे यथावत् रखकर अवैध आदेश पारित किये हैं । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि नक्शे के अक्स में आवेदक तथा अनावेदक पड़ौसी कृषकों के हित प्रभावित हो रहे हैं । स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई भी कार्यवाही सभी पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर, साक्ष्य को देखकर, स्थल पर नप्ती आदि कराकर, तथा आई हुई आपत्तियों का विधिवत् निराकरण कर ही नक्शे की वर्तमान प्रविष्टि में फेरबदल करना था लेकिन इस प्रकरण में ऐसी कोई भी कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता । उक्त तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी तथा आयुक्त के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया ।

6— स्पष्ट है कि तहसील द्वारा की गई कार्यवाही विधिपूर्ण न होने से निरस्ती योग्य है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को सभी पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.